नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
फोन: 01509–223873
ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone No.: 01509–223873
Email ID-ago.csfsuratgarh@gmail.com

सी.एस.एफ./एसओजी/कृषि//2–65/भाग-**II**/2023 दिनाँक: **21.02.2024**

<u>ई-निविदा सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानागर (राजस्थान) में **रबी 2023-2024** में बोई गयी **<u>अलसी 72.75 एकड़, सरसों 2649.50 एकड़ व चना 3458.00 एकड़ की कटाई, थ्रैशिंग</u>** करने हेतु ऑफलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो कि **दिनाँक 28.02.2024 को 01:00 बजे तक** भरी जा सकती है और जिन्हें उसी दिन दोपहर 03:00 बजे मुख्यालय सूरतगढ़ में खोला जायेगा | इच्छुक योग्य व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं | निविदा फॉर्म शुल्क रुपये 236/- और धरोहर राशि रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के अनुसार एकमुश्त राशि जमा करनी होगी | निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी | निविदा हेतु विस्तृत विवरण, निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है | सफल निविदादाता को छोड़ी गई फसल कटाई की कुल रकम की 25 प्रतिशत रकम कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करवानी होगी तथा असफल निविदादाता की राशि बैंक खाते में जमा करवा दी जायेगी |

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Name of the Tenderer	
Father Name of the Tenderer	
Full Address of the Tenderer	
Mobile No. of the Tenderer	
Copy of GST Registration (if any)	
Copy of PAN Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhaar Card/Driving License etc.	
Copy of Firm Letter Head (if any)	
Copy of Bank Passbook	

<u>निविदा प्रपत्र</u> दिनाँक: 21.02.2024

फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

<u>विषयः– रबी 2023-2024 की फसलों की हाथ से कटाई/गहाई के लिए टेन्डर.</u>

कार्य का विवरण :– खेतों की खडी फसल को काटना, इकटठा करना, सूखी फसल को अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करके खेत में खलिहान साफ करना। अनाज को फार्म के साधन से लाकर विनोइंग सैंटर **तक पहुचाना**। उपरोक्त कार्य के एवज में फसल का नीरा ठेकेदार को मिलेगा तथा **ठेकेदार को फार्म को देने-लेने के रुपये अंकित करना अनिवार्य है**। थ्रेसिंग आदि का कार्य पूरा होनें तक थ्रेसर आदि फार्म क्षेत्र में ही रहेंगें, बाहर नहीं **जायेंगे**।

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	**फसल का** बिजाई क्षेत्र (एकड में)	दर प्रति एकड (रूपयों में)	
			<u>ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि</u>	<u>ठेकेदार द्वारा फार्म **से ली** जाने वाली राशि</u>
<u>अलसी फसल</u>				
ब्लाक 1	38 STG	6.50		
TOTAL :-		**6.50**		
ब्लाक 2	31 B PBN	62.50		
	33 PBN	3.75		
TOTAL :-		**66.25**		
G.TOTAL		**72.75**		
<u>सरसों फसल</u>				
ब्लाक 1	35 STG	73.00		
	38 STG	214.00		
	40 STG	211.00		
	42 STG	235.00		
	44 STG	300.00		
	BRP-1	154.00		
TOTAL :-		**1187.00**		
ब्लाक 2	31 B PBN	215.00		
	33 PBN	200.00		
	RPM-1	270.00		
	RPM-3	210.00		
	RPM-4	402.50		

TOTAL :-		**1297.50**		
ब्लाक 3	3 SGM	52.00		
	34 PBN	113.00		
TOTAL :-		**165.00**		
G.TOTAL		**2649.50**		
चना फसल				
ब्लाक 1	35 STG	82.00		
	38 STG	295.00		
	40 STG	231.00		
	42 STG	50.00		
	44 STG	210.00		
	BRP-1	305.00		
TOTAL :-		**1173.00**		
ब्लाक 2	31 B PBN	212.50		
	33 PBN	187.00		
	RPM-1	394.00		
	RPM-2	518.00		
	RPM-3	205.00		
	RPM-4	195.00		
TOTAL :-		**1711.50**		
ब्लाक 3	3 SGM	168.50		
	34 PBN	405.00		
TOTAL :-		**573.50**		
G.TOTAL		**3458.00**		

नोट: फसलों का एरिया वर्तमान स्थिति के अनुसार दिया गया है, यह काम या ज्यादा हो सकता है |

ठेकेदार के हस्ताक्षर..
नाम व पूरा पता:..
....
मोबाईल न0...
निविदादाता का बैंक खाता संख्या ....
IFSC CODE/BRANCH NAME ....
....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)

रबी 2023-24 फसलों की कटाई के लिये नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता/बोलीदाता को रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के लिये धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे | यदि कोई व्यक्ति/फर्म एक से ज्यादा चक के लिये दरें भरना चाहता है तो एक ही बार में सम्पूर्ण धरोहर राशि (रुपये 10,000 X जितने चकों की दरें निविदा में भरनी है) ऑनलाईन/ डी.डी के माध्यम से जमा करनी होगी |

2. निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो को अपलोड करना अनिवार्य है |

3. **सफल बोलीदाता/निविदादाता को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर रुपये 10,000/- मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि के रूप में फार्म खाते में जमा करवाना होगा | सफल बोलीदाता/निविदादाता के द्वारा निविदा में जमा की गई धरोहर राशि अमानत राशि के रूप में परिवर्तित की जा सकती है । जमा अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के पश्चात बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी | आवंटित क्षेत्र की 25% राशि कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर जमा करवानी होगी एवं शेष 75% राशि थ्रैशिंग शुरू करने से पहले जमा करवानी होगी | रकम जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी | असफल निविदादाता की राशि बैंक खाते में जमा करवा दी जायेगी |**

4. निविदादाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार **पूर्ण रूप से** फार्म **प्रमुख** का होगा ।

5. निविदा में सरसों, चना व अलसी का क्षेत्र कटाई के समय फसल की स्थिति के अनुसार व फसल के Net standing area के अनुसार कम हो सकता है / किया जा सकता है |

6. सरसों, चना व अलसी फसलों की कटाई के लिये ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई संबंधित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी |

7. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर/**छोटी मंडली लगानी होगी**, तथा वह सूखने के बाद **हार्वेस्टिंग के समय** एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होगें, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई सरसों **की छोटी मंडलियों/छोटे ढेरों को** पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।

8. सरसों की थ्रेसिंग ठेकेदार को स्वयं के थ्रेसर से व **चने, अलसी** की **कटाई व थ्रैशिंग में लेबर ठेकेदार की होगी व थ्रैशिंग** फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा ।

9. ठेकेदार व उसके किसी भी श्रमिक द्वारा फसल के दाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा |

10. अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर **पहुचाना** होगा । संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी ।

11. ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा। नीरा सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करनें पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें ।

12. कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

13. **ठेकेदार द्वारा अलसी की थ्रैशिंग फार्म कम्बाईन से 2 बार या आवश्यकता अनुसार 2 से अधिक बार चक इंचार्ज के निर्देशानुसार करनी होगी |**

14. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

15. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

16. **फसलों की** कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी **पूर्ण रूप से** ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

17. **कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रूपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर ,सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।**

18. **कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा | फार्म, लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा |**

19. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

20. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।

21. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अतिंम होगा।

22. **यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम-शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म produce (उत्पादन) को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है |**

23. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोदित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

,,,,,

निविदादाता के हस्ताक्षर